



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228002
CG-DL-E-30062021-228002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2430]
No. 2430]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021
सं. 10/2015-2020

विषय:आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 15 के एचएस कोड 1511 90 के तहत मदों की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 2621(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 1511 90 के तहत निम्नलिखित मदों की आयात नीति में तत्काल प्रभाव से और 31 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार संशोधित करती है:

क्र. सं.	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
1511 90	अन्य:	प्रतिबंधित	मुक्त	केरल के किसी पत्तन के माध्यम से आयात अनुमत नहीं है
1511 90 10	रिफाईंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल	प्रतिबंधित	मुक्त	केरल के किसी पत्तन के माध्यम से आयात अनुमत नहीं है
1511 90 20	रिफाईंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पामोलिन	प्रतिबंधित	मुक्त	केरल के किसी पत्तन के माध्यम से आयात अनुमत नहीं है

1511 90 90	अन्य	प्रतिबंधित	मुक्त	केरल के किसी पत्तन के माध्यम से आयात अनुमत नहीं है
------------	------	------------	-------	--

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** एचएस कोड 15119010, 15119020 और 15119090 के तहत मदों की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से और 31.12.2021 तक की अवधि के लिए 'प्रतिबंधित' से संशोधित कर 'मुक्त' किया जाता है। इसके अलावा, एचएस कोड 151190 के तहत मदों का आयात केरल के किसी पत्तन के माध्यम से अनुमत नहीं है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-52/एम-06/पीसी (क) पार्ट-I/ई-19847]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2021

No. 10/2015-2020

Subject : Amendment in import policy of items under HS Code 1511 90 of Chapter 15 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 2621(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, and read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time-to-time, the Central Government hereby amends the import policy of the following items under HS Code 1511 90 of Chapter 15 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect and for the period up to 31st December 2021, as under:

Exim Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Policy condition
1511 90	Other:			
1511 90 10	Refined bleached deodorised palm oil	Restricted	Free	Imports are not permitted through any port in Kerala.
1511 90 20	Refined bleached deodorized palmolein	Restricted	Free	Imports are not permitted through any port in Kerala.
1511 90 90	Other	Restricted	Free	Imports are not permitted through any port in Kerala.

2. **Effect of the Notification:** Import policy of items under HS code 15119010, 15119020 and 15119090 is amended from 'Restricted' to 'Free' with immediate effect and for a period up to 31.12.2021. Further, import of items under HS code 151190 is not permitted through any port in Kerala.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-52/AM-06/PC-2(A)/Part-I/E-19847]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.